Helpline 1064 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **चूरू में श्री महेश कुमार सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी (ACTO) व श्री नरेन्द्र सिंह कनिष्ठ वाणिज्यिक कर अधिकारी (ICTO) वाणिज्यिक कर अधिकारी वृत रतनगढ़ जिला चुरू 1,00,000/– रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार।**

जयपुर, 28 मार्च, शुक्रवार। एसीबी मुख्यालय के निर्देश पर ए.सी.बी. चौकी चुरू द्वारा आज कार्यवाही करतें हुए आरोपीगण श्री महेश कुमार सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी (ACTO) व श्री नरेन्द्र सिंह कनिष्ठ वाणिज्यिक कर अधिकारी (ICTO) को परिवादी द्वारा फर्म के रिटर्न्स नहीं भरने पर फर्म को डीफाल्टर नहीं करने के लिए परिवादी व उसके सी.ए. के समक्ष दो लाख रूपये रिश्वत की मांग की गई एवं सी.ए. के मार्फत आज दिनांक 28.03.2025 को आरोपी महेश कुमार ए.सी.टी.ओ. रतनगढ़ द्वारा अपने कार्यालय कक्ष में एक लाख रूपये रिश्वत के प्राप्त कर अपने कार्यालय में पास की सीट पर बैठे नरेन्द्र सिंह जेसीटीओ को दिये जिसने उक्त रिश्वत राशि मिनी कैरी बैग में डालकर अपनी पेन्ट में रख लिये रिश्वत राशि प्राप्त करने पर एसीटीओ व जेसीटीओ दोनो मौके पर रंगे हाथों पकड़े गये। रिश्वत राशि एक लाख रूपये नरेन्द्र सिंह जेसीटीओ से बरामद की गई।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक पुलिस श्री डॉ. रवि प्रकाश मेहरड़ा ने बताया कि ए.सी.बी. चौकी चूरू को एक शिकायत इस आशय की मिली की परिवादी द्वारा फर्म के रिटर्न्स नहीं भरने पर फर्म को डीफाल्टर नहीं करनें के लिए परिवादी व उसके सी.ए. को दो लाख रूपये रिश्वत की मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी जयपुर के **उप महानिरीक्षक पुलिस–तृतीय श्री राजेश सिंह** के सुपरविजन में एसीबी चूरू के **उप अधीक्षक पुलिस श्री शब्बीर खान** के नेतृत्व में आज मय टीम के मांग का सत्यापन करवाया जाकर आज दिनांक 28.03.2025 को ट्रेप कार्यवाही करतें हुए आरोपीगणो को एक लाख रूपये रिश्वत लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार कर रिश्वत राशि बरामद की गई।

एसीबी की **अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस श्रीमति स्मिता श्रीवास्तव** के सुपरविजन में आरोपी से पूछताछ तथा कार्यवाही जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।